

उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2,
संख्या-2113 ई-2/तेरह-2023-459473
लखनऊ:दिनांक: 17 जनवरी, 2023

7356
25/1/23

कार्यालय जाप

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-1-12023/2/2017-NCB-II, दिनांक 29-07-2019 के अनुपालन में आबकारी विभाग के कार्यालय जाप संख्या-13-02099/1673/2019-2, दिनांक 27-10-2020 द्वारा राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। पुनः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-1-12023/02/2017- NCB-II(Vol-I), दिनांक 25-03-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आबकारी अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-864ई-2/तेरह-2022-459473, दिनांक 13-05-2022 द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय जाप दिनांक 27-10-2020 को अवक्रमित करते हुये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

2. इस संबंध में गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में NCORD की चतुर्थ एपेक्स लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 05-05-2022 के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दु संख्या-2.5 व NCORD की पांचवी एपेक्स लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 01-12-2022 के कार्यवृत्त दिनांक 27-12-2022 के बिन्दु-3 में उल्लिखित निर्देशानुसार आबकारी अनुभाग-2 के उपर्युक्त कार्यालय जाप दिनांक 13-05-2022 को निम्नवत संशोधित करते हुए ज्यूरिसडिक्शनल रीजनल डी.डी.जी., एन.सी.बी. के स्थान पर ए.एन.टी.एफ. के मुखिया (IG/DIG) को Convenor (संयोजक) तथा A.N.T.F. मुख्यालय को स्टेट एनकाई सचिवालय के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(क) राज्य स्तरीय समिति:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 8. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 9. डी.जी.पी., उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 10. आबकारी आयुक्त, उ.प्र. | सदस्य |
| 11. ज्यूरिसडिक्शनल ए.डी.जी., डी.आर.आई | सदस्य |
| 12. राज्य में तैनात उप नार्कोटिक्स आयुक्त, सी.बी.एन. | सदस्य |
| 13. डी.आई.जी., आर.पी.एफ. | सदस्य |
| 14. पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक | सदस्य |
| 15. स्टेट ड्रग कन्ट्रोलर/एफ.डी.ए. | सदस्य |
| 16. निदेशक, एस.एफ.एस.एल. | सदस्य |
| 17. ज्यूरिसडिक्शनल आई.जी. ऑफ बाईर गार्डिंग एजेन्सीज(सीमवर्ती राज्य) | सदस्य |
| 18. ए.एन.टी.एफ. के मुखिया (IG/DIG) | संयोजक-सदस्य |

- | | |
|---|---------------------|
| 19. ज्यूरिसडिक्शनल रीजनल डी.डी.जी., एन.सी.बी. | सदस्य |
| 20. ज्यूरिसडिक्शनल जोनल डायरेक्टर, एन.सी.बी. | सह संयोजक-
सदस्य |

(ख) जिला स्तरीय समिति:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | संयोजक-सदस्य |
| 3. राज्य के विभागों के प्रतिनिधि-शिक्षा/स्वास्थ्य/सोशल जस्टिस | सदस्य |
| 4. राज्य के विभागों के प्रतिनिधि-वन और कृषि | सदस्य |
| 5. ज्यूरिसडिक्शनल ए.सी./डी.सी. ऑफ कस्टम्स/सेन्ट्रल जी.एस.टी. | सदस्य |
| 6. सीमावर्ती राज्य-सीमावर्ती गाडिंग एजेन्सी के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. प्रभावित क्षेत्रों के एस.डी.एम. | सदस्य |
| 8. डिस्ट्रिक्ट ड्रग इन्स्पेक्टर | सदस्य |
| 9. प्रतिनिधि, एन.सी.बी. | सदस्य |
3. राज्य स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास आयोजित की जायेगी, जिसके लिए राज्य स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक एवं सदस्य-सह-संयोजक बैठक का एजेण्डा तैयार कर समिति के अध्यक्ष को भेजकर बैठक की तिथि/समय निर्धारित कराते हुए बैठक के आयोजन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायेंगे। जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी, जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के सदस्य-संयोजक बैठक के आयोजन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायेंगे।


Signed by संजय आर.
भूसरे (संजय आर. भूसरे डडी)
Date: 28/08/2023 14:26
Reason: Approved

संख्या-213 ई-2/तेरह-2023-459473 तददिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ए.एन.टी.एफ. के मुखिया (IG/DIG) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 29-07-2019, 25-03-2022 एवं NCORD की पांचवी एपेक्स लेवल कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27-12-2022 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि ये गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में प्रस्तर-3 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य स्तरीय समितियों की ससमय बैठक आयोजित कराने तथा जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का यथावश्यक आख्या/फीडबैक प्राप्त करते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त समस-समय पर NCORD की एपेक्स लेवल कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या सर्वसंबंधित से प्राप्त कर सहायक निदेशक, नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को प्रेषित कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, (उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन।
10. डी.जी.पी., उत्तर प्रदेश।

11. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
12. ज्यूरिसडियशनल ए.डी.जी., डायरेक्ट्रेट आफ रेवेन्यू इन्टेसीजेन्स (डी.आर.आई) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
13. राज्य में तैनात उप नारकोटिक्स आयुक्त, सेन्ट्रल ब्यूरो आफ नारकोटिक्स (सी.बी.एन.) ग्वालियर।
14. डी.आई.जी., आर.पी.एफ.।
15. पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उत्तर प्रदेश।
16. स्टेट ड्रग कन्ट्रोलर/फूड सेफटी एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन,(एफ.एस.डी.एस.)।
17. निदेशक, स्टेट फारेन्सिक साइंस लैब (एस.एफ.एस.एल.)।
18. ज्यूरिसडियशनल आई.जी. ऑफ बार्डर गाडिंग एजेन्सीज(सीमवर्ती राज्य)।
- ✓ 19. ज्यूरिसडियशनल रीजनल डी.डी.जी., नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो।
20. ज्यूरिसडियशनल जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो।
21. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (आई.एस.।।) डिवीजन, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
22. उप निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वेस्ट ब्लॉक, बिंग नं.-1 आर. के. पुरम, नई दिल्ली-66
23. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
24. समस्त पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट जिलों में)/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे जिला स्तरीय समिति के सदस्य-संयोजक के रूप में सर्वसंबंधित को अपने स्तर से सूचित करते हुये उपर्युक्त प्रस्तर-3 में दिये गये निर्देशानुसार बैठक के आयोजन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराते हुये ए.एन.टी.एफ. के मुखिया (IG/DIG), A.N.T.F. मुख्यालय को आख्या उपलब्ध करायेगें।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।